HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15816/2025

Imam Bux Alias Raju S/o Mohammed Akram, Aged About 20 Years, Resident Of Ward Number 6, Kikarwali, Ps Sangariya, District Hanumangarh.
(Presently Lodged At Distt. Jail, Hanumangarh)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vipin Makkad
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Pankaj Kumar Gupta Mr. Arshdeep Jattana

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

09/03/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 563/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 126(2), 117(2), 118(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। इस मामले में चाकू की चोट राजु पुत्र सतार खान द्वारा मृतक गुलामनबी के कारित करने से मृत्यु होना इरफान खान के बयान से ही स्पष्ट है। राजु पुत्र अकरम द्वारा साजिद के सिर, हाथ, पैर में चोट कारित करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त से चाकू की बरामदगी न होकर लाठी की बरामदगी हुई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में घटना दो स्थान पर कंटीन्यूटी में कारित की गई है और प्रार्थी/अभियुक्त का

भी मारपीट की कार्यवाही में एक्टिव रोल है। अतः इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में घटना कारित करते समय प्रार्थी/अभियुक्त का सह–अभियुक्त के साथ एक्टिव रुप से भाग लिया गया है। गवाह अकबरा बीबी ने भी अपने बयान में यह कहा है कि साहिदा बीबी ने अचानक उनके मोटरसाइकिल के आगे आकर मोटरसाइकिल को रोक लिया और वहीं पर खड़े राजू उर्फ राजमोहम्मद पुत्र सतार मोहम्मद और राजु पुत्र अकरम को कहा कि दुश्मन आ गए मार दो और तब राजमोहम्मद उर्फ राजु व राजु पुत्र अकरम ने साक्षिया के पति को पकड़कर नीचे पटक दिया और धारदार चाकू से वार करके घायल कर दिया। तभी वह व उसका बेटा इरफान ने छुड़वाना चाहा तो राजु पुत्र सतार मोहम्मद ने उसके बेटे के हाथ पर चाकू से चोट मार दी। गवाह इरफान खान ने भी अपने सशपथ बयान में प्रार्थी/अभियुक्त का भी घटना में भाग लेना और राजु पुत्र अकरम द्वारा उसके चाचा साजिद के सिर, हाथ, पैर में धारदार चाकू से मारना बताया है। इसी प्रकार नवाब अली ने अपने बयान में स्पष्ट रुप से प्रार्थी/अभियुक्त का सह–अभियुक्त के साथ एक्टिव पार्टिसिपेट करते हुए चोट कारित करने में सहयोग करना बताया है।

6. ऐसी स्थिति में मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस स्टेज पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

10-GauravG/-